# आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

बिहार भूमि विवाद निराकरण अपील वाद सं0–137/2013

अवधेश कुमार सिंह

बनाम

रवि शंकर प्रसाद एवं अन्य

आदेश

2.5.15 प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर छपरा द्वारा विविध वाद संख्या–07/2011–12 में दिनांक 19.03.13 के पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गई है।

प्रस्तुत वाद का संक्षेप में तथ्य यह है कि आवेदक अवधेश कुमार सिंह वल्द शुभ नारायण सिंह, ग्राम–ईनायतपुर टोले पिलूई, थाना+पो0–दाउदपुर जिला–छपरा द्वारा अपने स्व0 अर्जित भूमि जो मौजा इनायतपुर खाता नं0–244 सर्वे नं0–2533 एकबा 40 डिसमिल के अन्तर्गत आता है पर विभिन्न व्यक्तियों के नाम से निर्गत पर्चा को रद्द करने एवं दखल कब्जा दिलाने हेतु वाद संख्या–7/2011–12 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर छपरा के समक्ष दायर की गई। सुनवाई के क्रम में विपक्षी संख्या–1 की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके उत्तराधिकारी को पक्षकार बनाने का प्राप्त आवेदन स्वीकृत करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस देकर वाद की सुनवाई पूरी कर अंतिम आदेश पारित किया गया जिसमें यह पाया गया कि इस वाद में स्वत्वः के निर्धारण का जटिल प्रश्न सन्निहित है जिसका निराकरण इस न्यायालय से संभव नही है। इसी कारण वादी को अपने अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का निर्देश देते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर ही आवेदक द्वारा यह अपीलवाद लाया गया है।

उभय पक्षों को सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश को अवैधानिक करार देते हुए उसे खारिज योग्य बताया गया क्योंकि उनके समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दलील की विपक्षियों द्वारा उनके निजी जमीन पर अवैध रूप से दखल कब्जा किए हुए है, इस तथ्य को स्वीकार नही किया और ना ही उनके द्वारा समर्पित कागजातों पर भी पूरी तरह विचार किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रश्नगत् भू–खण्ड को भू–अर्जन वाद सं0–1/1975–76 द्वारा अर्जित किया गया लेकिन आवेदक एवं अन्य लोगों द्वारा अपनी–अपनी जमीन भू–अर्जन से मुक्त कराने हेतु राजस्व पर्षद बिहार, पटना में विरोध पत्र दाखिल किया गया एवं अन्तोगत्वा उक्त जमीन भू–अर्जन से मुक्त हो गई। परन्तु इसी दौरान स्थानीय अधिकारियों ने सूची–1 की भूमि के अंशभाग को विपक्षीगणों के साथ बन्दोवस्ती करते हुए पर्चा निर्गत कर दिया एवं पर्चाधारियों को अवैधरूप से दखल कब्जा भी करा दिया गया । उन्होंने आगे यह भी कहा कि अपीलार्थी द्वारा सीडब्ल्यू0जे0सी0 सं0–4365 एवं एम0जे0सी0 सं0–1459/2004 दायर की गई थी एवं सब–जज–IX के जांच प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 17.11.2004 के द्वारा 96 डिसमिल जमीन का बाजार दर से आवेदक को मुआवजा भुगतान का आदेश दिया। इस प्रकार आवेदक का उक्त भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त करने का वैधानिक हक प्राप्त हो चुका है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विपक्षीगण के पक्ष में निर्गत बासगीत पर्चा बिल्कुल ही गलत तरीके से निर्गत किया गया है। इस संबंध में न तो भू–स्वामी को नोटिस निर्गत किया गया और ना ही स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा जांच ही की गई

और ना ही विपक्षीगण प्रश्रय प्राप्त रैयत की श्रेणी में आते है। सभी के नाम से अच्छी खासी संपत्ति भी अर्जित है ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का आदेश पूरी तरह खारिज योग्य है ।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी द्वारा लाया गया यह वाद पोषनीय नहीं है बल्कि खारिज करने योग्य है । विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि प्रश्नगत् भू–खण्ड पर विपक्षीगण के पूर्वज के समय से ही दखल कब्जा है जिसकी जानकारी आवेदक को भी है। माननीय न्यायालय के जिस आदेश के आलोक में आवेदक द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद लाया गया उसमें न तो विपक्षीगण को पक्षकार बनाया गया और न ही यह न्यायालय इस प्रकार के मामलें के निष्पादन हेतु सक्षम न्यायालय है। विपक्षीगण के आवेदनों का स्थानीय राजस्व पदाधिकारी द्वारा जांचोपरान्त ही वर्ष 1983 में बासगीत पर्चा निर्गत किया गया, जिसके आधार पर विपक्षीगण अपने–अपने नाम जमाबंदी कायम करवाते हुए बिहार सरकार को भू–लगान अदा कर रहे है । विद्वान अधिवक्ता ने यह भी दलील दी की पर्चा के आधार पर प्राप्त जमीन पर विपक्षी ने 4–5 वर्ष पूर्व मकान बनाया है। उनका आगे कहना है कि इस वाद में स्वत्वः संबंधी जटिल प्रश्न सन्निहित है जिसका निराकरण किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः अपीलवाद खारिज योग्य है।

सभी तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं भूमि उप समाहर्त्ता के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में स्वत्वः निर्धारण का जटिल प्रश्न सन्निहित है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा भी सभी तथ्यों पर पूर्णरूपेण विचार कर यह पाया गया है कि आवेदक द्वारा स्व–अर्जित भू–संपत्ति होने के आधार पर प्रश्नगत् भू–खण्ड पर दावा किया जा रहा है जबकि विपक्षीगण के पूर्वजों को वर्ष 1988–89 में ही उक्त भू–खण्ड के संदर्भ में बासगीत पर्चा निर्गत किया गया है एवं उनके नाम से राजस्व अभिलेख में जमाबंदी कायम है । इसी परिपेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा आवेदक को अपने अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का निर्देश देते हुए वाद का निपटारा किया गया है जो पूरी तरह उचित एवं विधिसम्मत् है क्योंकि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत वैसे मामले जिसमें स्वत्वः संबंधी जटिल प्रश्न सन्निहित है उसका निराकरण इस अधिनियम के तहत न कर संबंधित पक्षों को सक्षम न्यायालय के समक्ष ही वाद दायर करने का निर्देश देने का स्पष्ट प्रावधान है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा भी उन्ही प्रावधानों को ध्यान में रखकर उसी आशय के निर्देश के साथ वाद का निपटारा किया गया है जो पूरी तरह वैध एवं उचित है।

उपरोक्त वर्णित कारणों से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आपेक्षित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नही है तदनुसार अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त,
सारण प्रमंडल, छपरा।

2·5·15

आयुक्त,
सारण प्रमंडल, छपरा।